न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	मुकदमा नं.– 24/2025 नामान्तरकरण अपील उनवान – राजकुमार व अन्य बनाम गोविन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.5.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 16 उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पर उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 16 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलांट विनोद कुमार, राजकुमार व सपना देवी आदि द्वारा रेस्पोडेन्ट व अन्य के विरूद्ध मुकदमा नं. 105/2025 उनवानी विनोद कुमार बनाम गोविन्द वगैरा वाद उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया था जिसका निस्तारण किया जा चुका है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक मिजीकल प्रोसिडिंग है जिसकी अपील में किसी के हक हकूक तय नहीं किये जा सकते है। किसी भी व्यक्ति के हक हकूक नियमित वाद में ही विधिवत रूप से साक्ष्य के आधार पर मैरिट पर तय किये जा सकते हैं तथा अपीलांट्स द्वारा अपने अधिकारों की उद्घोषणा कराने बाबत सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर रखा है, जिसमें न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर अधिकारों को तय किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा विरासत के नामान्तरकरण सं. 422 दिनांक 06.10.2010 ग्राम गिरधरपुरा तहसील सिकराय के विरूद्ध अपील पेश की गई है। क्यों कि विरासत का नामान्तरकरण गलत तस्दीक किया गया है तथा वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 16 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति में वाद उद्घोषणा उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में प्रस्तुत करने का तथ्य स्वीकार है। परन्तु जब नामान्तरकरण ही अवैधानिक है तो उस सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय को निर्णय करने का अधिकार है। यह सही है कि किसी के हक हकूक वाद में ही तय किये जा सकते हैं फिर भी यदि कोई अवैधानिक व नियम विरूद्ध नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है तो वह अपील में तय की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा महज प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पेश किया गया है जो खारिज फरमावें। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकण से सम्बन्धित भूमि खसरा नम्बर 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 392, 393, 394 ग्राम गिरधरपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा के सम्बन्ध में मु.नं. 105/2025 उनवानी विनोद कुमार बनाम गोविन्द वगै0 दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में प्रस्तुत किया जाकर विचाराधीन है। जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा पक्षकारान के हक अधिकार तय किये जाने हैं। उक्त तथ्य को अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण में इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 11.5.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 11/5/2026 (अरविन्द शर्मा) अति. जिला कलक्टर ,दौसा	